भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1906
दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इटली में भारतीय श्रमिकों का बचाव

1906. **श्री वी. के. श्रीकंदनः**
प्रो. सौगत रायः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इटली की पुलिस ने उत्तरी वेरोना प्रांत में 33 भारतीय कृषि मजदूरों को गुलामी से बचाया और दो उत्पीड़कों को हिरासत में लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इटली की सरकार के साथ क्या राजनयिक उपाय किए गए हैं।

(ख) क्या देश में अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी वीज़ा रैकेट सक्रिय हैं जो विदेशों में अच्छी नौकरी और अन्य सुविधाएं देने का लालच देकर असहाय निर्धन लोगों को भर्ती कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फर्जी एजेंसियों द्वारा इस प्रकार की अवैध भर्तियों को रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षा वीज़ा के नाम पर बड़ी संख्या में छात्रों को विभिन्न देशों में भर्ती किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में इस प्रकार की अवैध भर्ती को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) रोम स्थित भारतीय दूतावास और मिलान स्थित कोंसलावास, 5 जुलाई, 2024 को इतालवी अधिकारियों द्वारा बचाए गए 33 भारतीयों के मामले में दो अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर लेग्रानो (वेरोना) की स्थानीय पुलिस के संपर्क में हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दोनों अपराधियों को दो दिनों के लिए गिरफ्तार/हिरासत में रखा गया था, उनके निजी सामान जब्त कर लिए गए थे और इतालवी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

रोम स्थित भारतीय दूतावास और मिलान स्थित कोंसलवास इटली में भारतीय कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभावित भारतीय नागरिकों को आश्रय/आवास, नौकरी की संभावनाओं के

बारे में मार्गदर्शन और इतालवी निवास परमिट प्रदान किया गया है। इस मामले को इटली के विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है ताकि अपराधियों के बारे में जानकारी और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा सके।

(ख) से (ङ) मंत्रालय के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें अवैध एजेंट शिक्षा वीज़ा के नाम और साथ ही विदेशों में अच्छी नौकरी और अन्य सुविधाएं देकर कमजोर लोगों को लुभा रहे हैं। मंत्रालय को पीड़ित प्रवासियों या उनके मित्रों/रिश्तेदारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर देश में फर्जी वीज़ा/अवैध भर्ती एजेंटों की धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, जिसमें शिक्षा वीज़ा के नाम पर ऐसे एजेंटों द्वारा की गई धोखाधड़ी भी शामिल है। ऐसी सूचनाओं के आधार पर मंत्रालय और विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/केंद्रों द्वारा त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई की जाती है। शिकायत को जांच और अभियोजन के लिए संबंधित राज्य पुलिस को भेजा जाता है।

मंत्रालय ने ऐसी फर्जी एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें मिलने पर राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रचारनिक प्रक्रिया जारी की है। मंत्रालय सुरक्षित और कानूनी माध्यमों तथा विदेशों में रोजगार के अवसरों के लाभों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए राज्य सरकारों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

उत्प्रवास अनापत्ति अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के उत्प्रवास की प्रक्रिया उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विनियमित होती है, जिसे विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा विदेशी रोजगार (ओई) और उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र के बिना भर्ती एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

समय-समय पर दृश्य और प्रिंट मीडिया अभियान चलाए जाते हैं, जिससे प्रवासियों को पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने और अवैध/नकली एजेंटों के माध्यम से न जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन संदेशों को मंत्रालय और विदेश स्थित मिशन/केंद्र के सोशल मीडिया प्रोफाइल और सर्वाधिक पहुंच के लिए अन्य माध्यमों से अपलोड और प्रसारित किया जा रहा है। राज्यों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जागरूकता अभियान प्रसार कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ई-माइग्रेट पोर्टल पर वैध और अवैध एजेंटों की जानकारी भी नियमित आधार पर अपलोड और अपडेट की जाती है। जून 2024 तक पोर्टल पर कुल 3,042 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया है।

*****